मध्यप्रदेश विधान सभा

अक्टूबर-दिसम्बर, 1999 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 29 अक्टूबर,1999 (कार्तिक 7, 1921)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, सदस्य, विदिशा वन मण्डल अन्तर्गत वनों की अवैध कटाई कर वन भूमि पर कब्जा कराये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री कमल पटेल, लक्ष्मण सिंह गौड़, लक्ष्मीकांत शर्मा, सदस्य, राजनांदगांव जिले के छुरिया थाने को नक्सलवादियों द्वारा लूटे जाने की घटित घटना की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

श्री के.पी.सिंह "कक्काजू", सभापति, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का तृतीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे तथा निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

"सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के तृतीय प्रतिवेदन से सहमत है."

5. विधान सभा की सदस्यता से त्याग-पत्र

मध्यप्रदेश विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 141-राजिम से निर्वाचित सदस्य, श्री श्यामाचरण शुक्ल तथा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 245-भोजपुर से निर्वाचित सदस्य, श्री सुन्दरलाल पटवा द्वारा विधान सभा में अपने स्थान का त्याग करने की सूचना.

6. सभापति तालिका की घोषणा

7. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) डॉ. प्रेमसाय सिंह, राजस्व मंत्री, मध्यप्रदेश भूमि प्रबन्धन विधेयक, 1999 (क्रमांक 30 सन् 1999) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(2) श्री लिखीराम कावरे, परिवहन मंत्री, मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 1999 (क्रमांक 31 सन् 1999) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(3) श्री सत्यनारायण शर्मा, वाणिज्यिक कर मंत्री, भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 1999 (क्रमांक 32 सन् 1999) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

---2--

8. संकल्प

डॉ. प्रेमसाय सिंह, राजस्व मंत्री, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

"यह सदन इस वर्ष माह सितम्बर में प्राकृतिक आपदाओं में अपने प्राण विसर्जित करने वाले मध्यप्रदेश राज्य के नागरिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए लाखों प्रभावितों के प्रति संवेदना प्रकट करता है.

यह सदन भारत सरकार से अनुरोध करता है कि प्रदेश में आई बाढ़, अतिवृष्टि, भू-स्खलन तथा सूखे की स्थिति से उत्पन्न विभीषिका के शिकार नागरिकों और किसानों को राहत एवं पुनर्वास कार्यों के लिए राष्ट्रीय आपदा निधि से राज्य सरकार को उसके द्वारा इस संदर्भ में भेजे गये दो ज्ञापनों की अपेक्षानुसार क्रमशः रूपये 195.27 व 361.61 करोड़ की धन राशि तत्काल उदारतापूर्वक उपलब्ध कराये."

9. अशासकीय विधि विषयक कार्य

श्री बनवारीलाल अग्रवाल, सदस्य, मध्यप्रदेश धर्म-स्वातन्त्र्य (संशोधन) विधेयक, 1999 (क्रमांक 8 सन् 1999) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

10. अशासकीय संकल्प

(1) श्री प्रभाकर सिंह, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

"सदन का यह मत है कि विगत 20 वर्षों से अधिक समय से भू-स्वामियों की जो जमीन शासकीय अभिलेखों में रास्तों के लिए बाजबुल अर्ज के अन्तर्गत दर्ज है उसका शासन अधिग्रहण कर निस्तार पत्रक में घोषित करे ताकि उन मार्गों का सुधार व निर्माण किया जा सके".

(2) श्री सोनेराम कुशवाह, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

"सदन का यह मत है कि प्रदेश में टी.बी. बीमारी से बचाव हेतु प्रत्येक स्वास्थ्य एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र पर जीवन रक्षक दवाएं उपलब्ध कराई जावें".

(3) श्री हरीशंकर जायसवाल, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

"सदन का यह मत है कि प्रदेश के समस्त वनों, उद्यानों एवं अभ्यारण्यों के तेंदूपत्ता तोड़ने वाले आदिवासियों को बोनस देने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जावे".

(4) कुंवर अशोक वीर विक्रम सिंह, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

"सदन का यह मत है कि प्रदेश के सभी प्राथमिक शालाओं में यातायात के नियम सिखाना अनिवार्य किया जाय".

भोपाल :
दिनांक : 28 अक्टूबर, 1999

के.पी. तिवारी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा